निर्णय सुरक्षितः 02.09.2021

निर्णय पारितः 30.09.2021

उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

<u>रिट याचिका सं0 1728 वर्ष 2020 (एम/एस)</u>

स्वामी उमा भारती और एक अन्य............ याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य... उत्तरदाता

अधिवक्ताः श्री अरविंद वशिष्ठ, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता ।

श्री नरेश पंत, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता.

श्री एम0सी0 पांडे, उत्तराखंड राज्य के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता/प्रतिवादी संख्या।3 से 5।

<u>माननीय न्यायामूर्मि श्री शरद कुमार शर्मा,</u>

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अभिलेखों के विपरीत एक वित्रित्र प्रश्न पर इस आशय से बहस की गई है किः–

i. जब राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत मुआवजे का निर्धारण किया गया है, तो इसे 1956 के अधिनियम के तहत ही निष्पादित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मुआवजे के अनुदान के लिए रिट याचिका बनाए अनुरक्षणीय होगी।

ii. चूँकि मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने या उसके प्रतिद्वंद्वी दावे के संबंध में कोई विवाद नहीं है, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट का विकल्प इस तथ्य के कारण उपलब्ध होगा कि 1956 का अधिनियम, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से निर्धारित मुआवजे के भुगतान के लिए अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में मौन है।

2. उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कुछ बुनियादी तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जिन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, निम्नवत हैः

3. यह मुकदमे का दूसरा चरण है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले प्रतिवादी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद निर्धारित की गई तथा उनके द्वारा दावा की गई राशि के मुआवजे के भुगतान हेतु mandamus आदेश के माध्यम से राहत देने के लिए रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इसे remit नहीं किया गया था। अंततः मुकदमे का पहला चरण, जो अनीता जैन बनाम मोहन साह की रिट याचिका (एम/एस) स10 1198/2020 के माध्यम से समाप्त हुआ, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित अनुतोष चाहा गया हैः–

"I. Issue a Writ, Order or direction in the nature of mandamus to direct the respondents 2 and 3 to pay the compensation along with interest of acquired land of the petitioners of khasra n0. 163 area 0.1843 hectare situated in village Gajiwali, Pargana and Tehsil Haridwar, District Haridwar to the petitioners as awarded by respondent no. 3 dated 4/5/2019(Annexure no. 12) and approved by respondent n0. 2 on 17.09.2019(Annexure no.14)."

4. इस न्यायालय की संयुक्त पीठ द्वारा उक्त याचिका का निस्तारण सक्षम अधिकारी को इस निर्देश के साथ किया गया था क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के आवेदन दिनांक 30.12.2019 पर निर्णय

लें, और जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः—

"Accordingly, writ petition is disposed of with the direction to the cmompetent authority, Land Acquisition (respondent no.3) to take decision on petitioners application dated 31-12-2019 as early as possible, but not later than three weeks from the date of production of certified copy of this order.

For a period of one week from today, parties shall maintain status quo over the property in question."

5. इस न्यायालय की संयुक्त पीठ द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देश के अनुपालन में, प्रतिवादीगण ने उन तथ्यों के लिए, जिनका खुलासा यहां किया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 के तहत मुआवजे के भुगतान को निर्धारित करने की पूरी कार्यवाही को फिर से शुरू किया और याचिकाकर्ताओं के दावे को दिनांक 09.09.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था और इसलिए, मौजूदा रिट याचिका को याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित अनुतोष के लिए योजित किया गयाः—

"अतः यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे—

(ए) प्रतिवादी सं. 3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.09.2020 (संलग्नक सं0.25) को रद्द करते हुए certiorari की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें।

(बी) प्रतिवादीगण को गाँव, गाजीवाली, परगना और तहसील हरिद्वार, जिला हरिद्वार में स्थित खसरा सं0 163 रकबा 0.1843 हेक्टेयर की याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का ब्याज के साथ भुगतान करने हेतु निर्देशित करते हुए, जैसा कि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा आदेश दिनांकित 04.05.2019 द्वारा प्रदान किया गया था (संलग्नक सं0 13) और प्रतिवादी सं0 2 द्वारा आदेश दि0 17.09.2019 द्वारा स्वीकृत किया गया (संलग्नक सं0 14)।

(सी) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे।

(डी) याचिका की अधिनिर्णय लागत।"

6. उपरोक्त विस्तृत मौजूदा रिट याचिका ठीक होना याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया गया है कि वे गाँव गाजीवाली, परगना और तहसील हरिद्वार में स्थित खसरा नं. 163, के स्वामी हैं, जिसमें से एक हेक्टेयर भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचित किया गया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा सके। उपरोक्त परियोजना के लिए, 28.12.2013 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी, जो जारी की गई पहली अधिसूचना थी, जिसे बाद में दैनिक जागरण और व्यापक प्रसार के अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं की कुल भूमि 0.2059 हेक्टेयर को, जिसे रा0रा0मा0 74 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था, को अधिसूचना में शामिल किया गया था। निरीक्षण के समय, दिनांक 28.12.2013 की अधिसूचना जारी करने से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया प्रतिवादीओं द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 बी के तहत निहित प्रावधानों के अनुपालन में की गई थी। इसके बाद उन्होंने यह निर्धारित किया कि उपरोक्त परियोजना के उद्देश्य से अधिग्रहित की गई भूमि, याचिकाकर्ताओं के दलील के अनुसार, सर्वेक्षण और सीमांकन कार्यवाही, जो स्तंभों को तय करके आयोजित की गई थी, इस संबंध में एक रिपोर्ट 30.06.2016 पर प्रस्तुत की गई थी। यह एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट थी, जिसे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी आदि शामिल थे। और 30.06.2016 की इस रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है कि वास्तव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, यह पाया गया कि कुल भूमि जो वास्तव में उपरोक्त परियोजना के लिए कब्जे में ली गई थी, जिसे 28.12.2013 पर अधिसूचित किया गया था, वह भूमि जो 3902.

127 वर्ग मीटर भूमि के क्षेत्र के रूप में ली गई थी, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार और इसकी तुलनात्मक जांच पर, 28.12.2013 की अधिसूचना की तुलना में, लगभग 1843.27 वर्ग मीटर अधिक पाई गई थी।

7. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि रिपोर्ट दि0 30.06.2016 की विषयवस्तु व 1843.27 वर्ग मीटर की सीमा तक भूमि का अतिरिक्त अधिग्रहण, एक तथ्य था, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 को दि0 11.07.2016 को पत्र जारी करके ठीक किया गया था, और यह आगे तर्क दिया गया कि उक्त पत्र व्यवहार के अनुक्रम में, प्रतिवादी नं 3 ने प्रतिवादी नं. 2 को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई भूमि से अधिक अधिग्रहित भूमि के लिए देय अतिरिक्त राशि का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

8. लेकिन इससे पहले कि क्षतिपूर्ति निर्धारित करने की प्रक्रिया, दि0 30.06.2016 की रिपोर्ट और 11.07.2016 के पत्र व्यवहार के अनुपालन में की जा सके, दूसरी बार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (SLAO), समीक्षा अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों के साथ एक संयुक्त सीमांकन कार्यवाही भी आयोजित की गई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वास्तव में, इसके बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में 30.06.2016 की रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रमाणित गई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं की अतिरिक्त भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित गया था।

9. चूंकि याचिकाकर्ताओं के दलील के अनुसार और इस तथ्य के कारण कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी किए बिना प्रतिवादीओं द्वारा एक अतिरिक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, एक अभाव था। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि धारा 3ए के तहत एक नई अधिसूचना जारी की जा सकती है, और अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्हें अधिग्रहित अभिकथित अतिरिक्त भूमि के लिए, भूमि पर मौजूद निर्माण, चारदीवारी, बिजली की बाड़ और सीसीटीवी कैमरों आदि के लिए देय मुआवजे के साथ पर्याप्त अभिवेदन से मुआवजा दिया जा सकता है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित किए गए थे। जब याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में तर्क दिया कि उन्होंने एक बार फिर उत्तराखंड के क्षेत्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष अपने मामले का अभिवेदन किया था और इसके अनुसरण में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, प्रतिवादी नं. 2 ने प्रतिवादी नं. 3 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि के लिए अधिनियम की धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी करने हेतु लिखा गया।

10. याचिकाकर्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किया कि 28.12.2013 की पूर्व अधिसूचना और प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 3, से दि0 27.10.2018 को किये गये पत्र व्यवहार के अनुक्रम में, वास्तव में दूसरी अधिसूचना सं0 4041, नई दिल्ली, शुक्रवार 12 अक्टूबर, 2018/ASVINA 20,1940 प्रतिवादीगण द्वारा जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा असाधारण राजपत्र में जारी की गई थी, वास्तव में इसे, 09.10.2018 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3ए की उप धारा (1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में जारी किया गया था।

11. याचिकाकर्ताओं की अभिकथित अतिरिक्त भूमि के संबंध में, जिसे प्रतिवादीओं द्वारा भूमि के लिए अधिसूचना जारी किए बिना अधिग्रहित किया गया था, जो खसरा नं.163 हेक्टेयर भूमि में 0.1843 है0 की सीमा तक थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि दि0 09.10.2018 की अधिसूचना जारी होने पर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3जी (3) के तहत निहित कानून की मंशा के अनुसार, उसी दिन अमर उजाला (हिंदी संस्करण) और टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अभिवेदन किया कि चूंकि इसके लिए जारी की गई अधिसूचना का उद्देश्य केवल भूमि अधिग्रहण का अनुमान लगाना था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी नं. 3 पर, यह तर्क देते हुए कि की दूसरी अधिसूचना, की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट द्वारा निर्धारित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा रखती है, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें देय मुआवजे की राशि का निर्धारण अधिनियम की धारा 3जी के तहत मुआवजे के निर्धारण के लिए आवश्यक विभिन्न अन्य पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए, जिसमें भूमि के वाणिज्यिक मूल्य पर याचिकाकर्ताओं को देय मुआवजे का निर्धारण करना शामिल होगा, इसमें सुपर स्ट्रक्चर का

मूल्य शामिल होना चाहिए, जो भूमि, स्थायी मार्ग, चारदीवारी के साथ–साथ फाटकों आदि पर मौजूद था। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा 29.10.2018 पर उठाई गई आपत्तियों में, याचिकाकर्ताओं ने मु0 75,00,000 रू0 की कुल राशि के मुआवजे का दावा किया।

12. 27.10.2018 की दूसरी अधिसूचना परयाचिकाकर्ताओं की शिकायत दि0 29.10.2018 प्राप्त होने पर, प्रतिवादी नं. 3 ने याचिकाकर्ताओं को 05.11.2018 को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें, मुआवजे की पर्याप्तता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। 05.11.2018 पर जारी किए गए उक्त नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे प्रतिवादी नं. 3 के समक्ष दि0 20.11.2018 को पेश हुए और अपनी आपत्ति दर्ज की जिसमें उन्होंने मु0 12, 62,22,000रू0 के रूप में संशोधित मुआवजे का दावा किया था।

13. अधिनियम की धारा 3सी, किसी भी व्यक्ति की सुनवाई के लिए प्रावधान करती है जो भूमि के मुआवजे के अनुदान के लिए इच्छुक है, जिसे अधिनियम की धारा 3ए (1) के तहत अधिग्रहित किया गया है, और उक्त कानून मंशा को पूरा करने के लिए और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 26 के तहत निर्धारण मापदंडों के आधार पर मुआवजे का निर्धारण करने के लिए, दि0 27.11.2018 पर सुनवाई की गई थी।

14. याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया कि प्रतिवादी नं0 2, ने इस तथ्य की पुष्टि की थी कि याचिकाकर्ताओं की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण 0.1843 हेक्टेयर की सीमा तक किया गया है, जैसा कि दि0 27.10.2018 को अधिसूचित किया गया है और प्रकाशन, जो धारा 3डी(2) के तहत भारत की राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया था, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि 2013 के अधिनियम की धारा 26 के तहत पर्याप्त मुआवजे का निर्धारण करने के लिए उनकी पहले की आपत्तियों और अभ्यावेदन पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें 18.02.2019 पर एक और आपत्ति दर्ज करनी पड़ी।

15. याचिकाकर्ताओं ने अपने अभ्यावेदन में अभिवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त आपत्तियों पर, जैसा कि 20.11.2018 और 18.02.2019 पर अभिवेदन किया गया है, प्रतिवादीगण ने आपत्तियों पर विचार किया और एक अधिनिर्णय दि0 04.05.2019 जारी किया जिसके तहत, याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें देय किए जाने के लिए निर्धारित देय धनराशि का आकलन मु0 6,60,28,660/– रू0 के रूप में किया गया था। मुआवजे की यह राशि, जो इस प्रकार अधिनिर्णय में निर्धारित की गई थी, 04.05.2019 को प्रकाशित की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। बल्कि उन्होंने उक्त सीमा तक मुआवजे की मात्रा निर्धारित करके की गई घोषणा के औचित्य को स्वीकार किया और याचिकाकर्ताओं को देय किए जाने वाले अधिनिर्णय को स्वीकार किया। इसकी अनुक्रम में, उसी दिन दि0 04.05.2019 को, कथित रूप से, प्रतिवादी नं0 3, ने प्रतिवादी सं0 2 को, मुआवजे का भुगतान करने के लिए, जो याचिकाकर्ताओं को 04.05.2019 के अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित किया गया था, धन प्रदान करने के लिए लिखा था। 04.05.2019 पर प्रकाशित अधिनिर्णय, वास्तव में, अधिनिर्णय सं0 2018–2019 दि0 04.05.2019 में की गई सिफारिशों के आधार पर, सम्बंधित भूमि पर किए गए सर्वेक्षण का संदर्भ देते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सक्षम अधिकारियों और सक्षम अधिकारी अर्थात परियोजना निदेशक, पी. आई. यू., नजीबाबाद के समक्ष रखा गया था। जिनके द्वारा पत्र सं0 NHAI/PIU-NBD/NH-74/33028/Award(HDR)/2016/5998 दिनांक 17.09.2019 जारी करके अधिनिर्णय को मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, उक्त पत्र व्यवहार के अनुसार, जो प्रतिवादी न0 2 द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना के अनुसरण में प्रतिवादी को देय व निर्धारित किए गए अधिनिर्णय को मंजूरी देते हुए, उसने अपने दायित्व के हिस्से का निर्वहन किया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 में के तहत प्रतिवादी सं0 3 के बैंक खातों में राशि जमा करके राशि के भुगतान को मंजूरी दी थी। जो प्रतिवादी सं0 3 के Indus Land Bank, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित है।

16. दिनांक 04.05.2019 के अधिनिर्णय के अनुमोदन के उक्त सूचना की प्राप्ति पर, जैसा कि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा दि0 17.09.2019 को किया गया, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वे मुआवजे के भुगतान के लिए प्रतिवादी नं. 3 के समक्ष उपस्थित हुए और इसके साथ–साथ परिशिष्ट 11 फॉर्म सी. सी. जमा किया, याचिकाकर्ता ने मुआवजे के समर्थन में हलफनामे, अपने बैंक खातों के रद्द किए गए चेक, पैन कार्ड, पासबुक और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।

17. याचिकाकर्ताओं ने यह मामला उठाया है कि प्रतिवादीगण को ज्ञात कारणों और अज्ञात तथ्यों और कारणों के लिए, 04.05.2019 पर अधिनिर्णय द्वारा मुआवजे के निर्धारण के बाद, और 17.09.2019 पर इसकी मंजूरी के बाद, तीसरा संयुक्त निरीक्षण किया गया था, जो प्रतिवादी नं0 3 द्वारा किया गया था, जिन्होंने वास्तव में तहसीलदार को दिनांक 05.10.2019 के पत्र के माध्यम से एक बार फिर भूमि का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया था और जिसे तदनुसार 11.10.2019 पर किये जाने का निर्देश दिया गया था। कथित निरीक्षण में, जो आयोजित किया गया था, याचिकाकर्ताओं द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही में भाग लिये जाने का कथन किया गया। जब उपरोक्त कार्यवाही की जा रही थी, तो प्रतिवादी सं. 2 द्वारा 17.09.2019 पर अनुमोदित मुआवजे का याचिकाकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया था। इसके बाद, उन्होंने प्रतिवादी नं. 2 के समक्ष मुआवजे का भुगतान करने के लिए, 29.11.2019 और 31.12.2019 को अभ्यावेदन किया। याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन किया कि उन्होंने प्रतिवादी नं. 3 के समक्ष भी मुआवजे के लिए अभ्यावेदन किया। मुआवजे हेतु प्रार्थना करने के अलावा, उन्होंने यह भी कथन किया था कि चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जमा किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को 04.05.2019 पर दिए गए अधिनिर्णय का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए राजमार्ग अधिकारियों द्वारा ले जाए जा रहे सड़क के निर्माण को रोका जा सकता है।

18. राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण अर्थात प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 3 से किए गए एक पत्र व्यवहार में, वास्तव में, प्रतिवादी नं0 3, ने 04.01.2020 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को लिखा है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के अभिवेदन को मुआवजे का भुगतान करने के लिए कानून के अनुसार संसाधित करने के लिए भेजा गया था। जब ऐसा नहीं किया गया था, तो प्रतिवादी न0 3 ने याचिकाकर्ताओं के 31.12.2019 के अभिवेदन पर विचार करने के लिए तथा अग्रसारित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था। ताकि वे मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें और जिसके लिए प्रतिवादी नं0 3, ने याचिकाकर्ताओं को एक शपथ पत्र के माध्यम से एक घोषणा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, कि यदि भविष्य में कोई दोष या विसंगति है, जो याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व में पाई जाती है, तो याचिकाकर्ता उस राशि को वापस करने का कार्य करेंगे, जो उन्हें 17.09.2019 पर निर्धारित और अनुमोदित मुआवजे के रूप में प्राप्त हो रही है और याचिकाकर्ताओं द्वारा फॉर्म स07 के माध्यम से उक्त अनुमोदन/घोषणा किये जाने की आवश्यकता थी।

19. याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया कि इसके अनुपालन में, 04.01.2020 के पत्र व्यवहार में, याचिकाकर्ताओं ने उक्त आशय से एक घोषणा प्रस्तुत की है। लेकिन चूंकि उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से प्रतिवादीगण के समक्ष एक अभ्यावेदन दिया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि वे भविष्य में बढ़े हुए मुआवजे का अभिवेदन करने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रख रहे हैं, यदि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद निर्धारित मुआवजे का भुगतान उन्हें समय अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

20. याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया है कि जब उनके द्वारा सभी संहितात्मक औपचारिकताओं को पूरा किया गया जैसा कि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा आदेशित किया गया था, राशि का भुगतान अभी भी नहीं किया जा रहा है,

उन्हें 2020 की रिट याचिका (एम/एस) 1198/2020 (जैसा कि ऊपर संदर्भित है) दायर करके रिट अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका निस्तारण 12.08.2020 (फैसले का उद्धरण जो ऊपर उद्धृत किया गया है) पर किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस न्यायालय की संयुक्त पीठ द्वारा 12.08.2020 पर एक आदेश पारित किए जाने के बावजूद, वास्तव में, प्रतिवादी, जिन्हें कब्जा करने से रोक दिया गया था, क्योंकि यथास्थिति का आदेश पारित किया गया था और इस तथ्य के कारण कि इस न्यायालय की संयुक्त पीठ द्वारा आदेश पारित करने की तारीख तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि, अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने और एक अधिनिर्णय के माध्यम से मुआवजे के निर्धारण के बावजूद, वे अभ्यावेदन करते हैं कि, इसके विपरीत प्रतिवादी नं0 2 ने जानबूझकर और गलत इरादे से काम किया है, जो 12.08.2020 के आदेश के विपरीत है, जिसे इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं. 3 को 07.09.2020 पर पत्र जारी कर पुलिस की मदद से याचिकाकर्ताओं की भूमि पर कब्जा करने के लिए किया गया था।

21. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह निर्देश जो 07.09.2020 पर जारी किया गया था, अवमाननापूर्ण प्रकृति का था, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से 12.08.2020 के पहले के फैसले का उल्लंघन था। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि परिणामी और उत्तरवर्ती निरीक्षणों के आलोक में, जो किए गए थे, स्वयं यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को सुनने के बाद 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा सर्वेक्षण, जब राशि निर्धारित नहीं की गई थी, याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा कि प्रतिवादी ने मुआवजे के भुगतान में देरी करने के लिए, एक बार फिर उसी आदेश के अनुपालन में निरीक्षण करने का निर्देश दिया था, जिसे संभागीय वन अधिकारी द्वारा पारित किये जाने का कथन किया गया था। इसके लिए फिर से भूमि के उत्तरी हिस्से का सीमांकन, जिसे राजस्व विभाग द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था, किया जाना था।

22. याचिकाकर्ताओं की कष्टों का समाधान नहीं किया गया और इसलिए रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों के अनुसार, जबकि अधिनिर्णय जारी करने का आवेदन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारीध(एस. एल. ए. ओ.) के पास लंबित था, इसके बावजूद कि अधिनिर्णय प्रकाशित किया गया था, कथन किया गया कि प्रतिवादीगण ने उन्हें ज्ञात कारणों के लिए फिर से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था और याचिकाकर्ताओं ने बिंदु उठाया है कि उक्त निर्देश, जो जारी किया गया था, अनावश्यक था, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया 1956 के अधिनियम की धारा 3जी के तहत निहित प्रावधानों के प्रकाश में समाप्त हो गई थी। इसलिए, एक पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, जैसा कि 05.09.2020 पर आयोजित करने की योजना थी और यह कि पूरी प्रक्रिया अपने आप में खराब थी क्योंकि याचिकाकर्ताओं को पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, और तथाकथित रिपोर्टों के अनुसार, जिन्हें सर्वेक्षण करने वाले पुनर्मूल्यांकन दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, खराब थे क्योंकि सर्वेक्षण दल और यहां तक कि राजस्व दल द्वारा उनकी उपस्थिति में कभी भी कोई निश्चित बिंदु निर्धारित नहीं किया गया था और संपत्ति के विवरण पर विचार नहीं किया गया था, जो खसरा सं0 163 में था क्योंकि इसे सजरा में उठाया गया था।

23. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि मुआवजे के निर्धारण के लिए कोई विवाद नहीं बचा था, क्योंकि 27.10.2018 पर दूसरी अधिसूचना जारी की गई थी और मुआवजे का निर्धारण, जो 04.05.2019 के अधिनिर्णय द्वारा किया गया था और इसकी अंतिम मंजूरी जो प्रतिवादी नं. 3 द्वारा 17.09.2019 को दी गई थी, इस तथ्य के साथ कि जब संपत्ति के पड़ोसियों ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिग्रहित भूमि के क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई, इस तथ्य के बावजूद कि निकटवर्ती भूमिधर श्री मदन हरमीलाप ने भी खसरा सं. 163 में सम्मिलित अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं जताई, जिसे बाद में प्रतिवादीओं द्वारा

अधिग्रहित किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चूंकि आसपास के अन्य भूमिधर के अधिग्रहण किए गए क्षेत्र का कोई विवाद नहीं था, इसलिए वे मुआवजे के साथ भुगतान किए जाने के हकदार थे।

24. यह इस स्तर पर है कि वास्तविक विवाद अंकुरित होने लगा। रिट याचिका के पूरे विषयवस्तु में में याचिकाकर्ताओं ने, 05.09.2020 पर तीसरे पुनरीक्षण के संचालन के चरण तक, हमेशा ऐसा चित्रित किया था जैसे कि 17.09.2019 पर दिए गए अधिनिर्णय की मंजूरी के बाद, जिसे प्रतिवादी नं0 2 द्वारा जारी किया गया था, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी दलीलों और बहस में भी जो छवि बनाई गई थी, वह यह थी कि जैसे कि कोई विवाद नहीं था जो मुआवजे के भुगतान के लिए कोई बाधा पैदा कर सकता था और इसलिए, प्रतिवादी उस निर्देश से बाध्य थे, जो संयुक्त पीठ द्वारा 12.08.2020 के फैसले द्वारा जारी किया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 05.09.2020 पर किए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में प्रतिवादीगण को अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के बावजूद, 08.09.2020 पर अपनी आपत्तियाँ दर्ज करके, जिसका समर्थन गुरुकुल कांगड़ी के साजरा मानचित्र और अन्य आसपास की भूमि के साथ किया गया था, जिसमें स्तंभों का चित्रण भी शामिल था, जिन्हें सर्वेक्षण दल द्वारा तय किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब प्रतिवादी सं0 3 द्वारा कोई निर्देश दिया गया था तो याचिकाकर्ताओं के आवेदन दिनांक 13.12.2019 पर, मुआवजे की राशि उन्हें प्रदान की जानी चाहिए थी।

25. जब यह पूरा कार्य, 12.08.2020 के निर्णय के बाद भी, कानून के अनुसार नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन किया कि उन्होंने एक अवमानना याचिका सं0 352/2020 तथा 347/2020 दायर की, (जैसा कि रिट याचिका के पैरा 45 में संदर्भित है), हालांकि, उपरोक्त अवमानना याचिका को याचिकाकर्ताओं द्वारा 23.09.2020 के आदेश द्वारा वापस लिए जाने के रूप में निस्तारित कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने केवल एक आदेश दि0 23.09.2020 अवमानना याचिका सं0 352/2020 के संबंध में रखा था। लेकिन 2020 की अवमानना याचिका सं0 347 का क्या हुआ था, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका के पैरा 45 में वर्णित किया गया था, रिट याचिका में किये गए अभिवचनों में कोई विवरण सामने नहीं आया है।

26. यहाँ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि रिट याचिका के पैरा 46 में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों के अनुसार, स्वीकृत रूप से यह विवाद है जो विचारण के लिए है। वास्तव में, रिट याचिका के पैरा 46 की याचिका के अनुसार, दर्शित है कि 04.05.2019 पर किए गए अधिनिर्णय के निर्धारण के विरुद्ध, एक शिकायत थी जो प्लॉट सं0 112 शिवरतन सिटी, नोएडा के निवासी श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने एस. एल. ए. ओ. के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में किए गए मुआवजे के निर्धारण के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई है। श्री दिनेश कुमार की उपरोक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए, दो गाँवों गाजीवाली और कांगड़ी के सीमा स्तंभों के निर्धारण और राजस्व विभाग द्वारा भूमि के सीमांकन के उद्देश्यों के लिए बिंदुओं के निर्धारण से संबंधित, श्री दिनेश कुमार की आपत्ति, जैसा कि 09.09.2019 को प्रस्तुत की गई थी, उन्होंने मुआवजे के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकार के मुद्दे पर विरोध किया।

27. इस शिकायत पर, याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसका जवाब याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल यह कथन करके दिया गया था कि शिकायत काल्पनिक और अस्थिर है और शिकायतकर्ता दिनेश कुमार को अतिरिक्त भूमि पर किसी भी प्रकृति का कोई अधिकार नहीं है, जिसे खसरा नं. 163 जो धारा 3ए (1) के तहत दि0 27.10.2018 को अधिसूचित अधिग्रहण का विषय था। उन्होंने आगे कहा

कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसे किसी भी तरह से उस भूमि पर अधिकार प्राप्त हो, जिसके लिए याचिकाकर्ता मुआवजे का दावा कर रहे थे।

28 रिट याचिका के पैरा 46 और 47 के अभिवचन से, जो यहाँ नीचे उद्धरित गए हैः–

''46. कि आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि प्लॉट नं. 112 शिवरतन सिटी, नोएडा नगर, ऑक्सफोर्ड रोशनाबाद, हरिद्वार के पास के निवासी दिनेश कुमार की शिकायत दि0 09.09.2019 प्राप्त हुआ, जहाँ शिकायतकर्ता ने कुछ विसंगतियों को उजागर किया। यह प्रस्तुत अभिकथित है कि S.L.A.O./C.A.L.A द्वारा स्वयं कथित शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया लेकिन अभिकथित शिकायतकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वास्तव में अभिकथित शिकायतकर्ता नाम दिनेश कुमार एक काल्पनिक व्यक्ति है और ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। अभिकथित शिकायत को केवल शक्तियों के मनमाना प्रयोग के उद्देश्यों के लिए गढ़ा गया है।

47. यह कि 2 गाँवों अर्थात् गाजीवाली और कांगड़ी का सीमा स्तंभ निश्चित बिंदु है जो सर्वेक्षण में राजस्व विभाग के साथ–साथ वन विभाग के लिए भी स्वीकृत रूप से मौजूद है, हालाँकि, उपरोक्त निश्चित बिंदु पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था और सर्वेक्षण 2 चक सड़कों को निश्चित बिंदु स्वीकृत रूप से किया गया था, जबकि प्रतिवादी ने खुद 'साजरा मानचित्र' पर विवाद किया था।

29. इस न्यायालय का विचार है कि निम्नलिखित विवाद सामने आया हैः–

i. कि यह एक अधिनिर्णय की निर्विवाद राशि नहीं है, जिसे याचिकाकर्ताओं को 04.05.2019 के अधिनिर्णय द्वारा प्राप्त करने का हकदार कहा जा सकता है क्योंकि यह 17.09.2019 पर अनुमोदित था।

ii. कि, श्री दिनेश कुमार द्वारा एक आपत्ति उठाई गई थी, जो उस स्थिति में एक आपत्ति को भरने और याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने के परिणामस्वरूप स्वयं ही अधिनिर्णय को विवादित बना देगा।

iii. कि, रिट याचिका के पैरा 46 में की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के हाथों पूरी वास्तविकता और निष्पक्षता के साथ, यह उम्मीद की गई थी कि याचिकाकर्ताओं को श्री दिनेश कुमार को रिट याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल करना चाहिए था, ताकि वे मुआवजे के अनुदान के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता के बारे में अपनी दलीलें उठा सकें, ऐसा नहीं करने पर, रिट याचिका स्वयं ही दोषपूर्ण हो जाएगी क्योंकि आवश्यक असंयोजन ने कोई जवाब नहीं दिया।

30. इसलिए इस न्यायालय द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है और इसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है, और जैसा कि रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क देना गया है, कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा निर्धारित परमादेश आदेश एक निर्विवाद राशि थी, जिसके लिए एक अनिवार्य रिट होगी।

31. इसी पृष्ठभूमि में, जब 25.09.2020 को रिट याचिका दायर की गई थी, तो इस न्यायालय की संयुक्त पीठ ने अपने आदेश दिनांकित 05.10.2020 के आधार पर प्रतिवादी को प्रति शपथपत्र दायर करने हेतु कहा गया था। इसके अनुपालन में, प्रतिवादी ने अपने–अपने जवाबी हलफनामे दायर किए थे। प्रतिवादी सं0 1 और 2 ने 01.11.2020 पर अपना काउंटर दाखिल किया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने कथन किया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मुआवजे के अनुदान के लिए जो दावा किया गया है, वह कानून की नजर में पोषणीय

नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्पष्ट विवाद था, जिसे शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार ने याचिकाकर्ताओं की मुआवजे को प्राप्त करने की पात्रता के बारे में उठाया था, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने अभ्यावेदन किया था कि मुआवजे के निर्धारण के बाद से, उन्होंने पहले ही प्रतिवादी नं. 3 के खातों में, 1956 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3एच के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार राशि का भुगतान कर दिया था और विशेष रूप से उनके जवाबी शपथ पत्र के पैरा 16 के लिए एक संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों ने अभ्यावेदन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 और 2 ने अधिनियम की धारा 3ई के अनुसार कार्य किया है और धारा 3एच के तहत राशि जमा करने के बाद कब्जा कर लिया गया है। प्रतिवादी सं0 1 और 2 ने कथन किया है कि मुआवजे के भुगतान के लिए रिट याचिका के रिकॉर्ड से उनका कोई विवाद नहीं है।

32. दूसरी ओर, मुख्य जवाबी शपथ पत्र, जो प्रतिवादी नं.3 द्वारा दि0 07.11.2020 को प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने कथन किया था कि वास्तव में एन. एच. 74 (जिसे बाद में एन. एच.–34 के रूप में पुनःनामित किया गया) याचिकाकर्ता मुआवजे के अनुदान के लिए हकदार नहीं होंगे, क्योंकि इस संबंध मे एक विवाद था जो याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के अनुदान के लिए श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ था। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी ने 09.09.2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया था और इसलिए, उन्होंने किट याचिका सं0 1198/2020 (M/S) दायर की गई थी, जो रिट याचिका खारिज होने योग्य थी।

33. इस स्तर पर ही, प्रतिवादीओं द्वारा 09.09.2020 पर पारित आदेश की औचित्य का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए आवश्यक हो जाता है। विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के अभिवेदन पर विचार करते हुए, दिनांक 31.12.2019 के प्रार्थनापत्र द्वारा उठाए गए अभिवेदन और श्री दिनेश कुमार द्वारा अपनी शिकायत सं0 1345 दि0 24.09.2019 द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं के अभिवेदन को दिनांक 09.09.2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसे मौजूदा रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

34. प्रतिवादी नं0 3 द्वारा जवाबी शपथ पत्र में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अतिरिक्त अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान के हकदार नहीं होंगे, जिसका कारण यह है कि जहां तक अधिग्रहित की गई भूमि रकबा 0.0259 है0 का संबंध है, कुल राशि, जो भुगतान करने के लिए निर्धारित की गई थी, याचिकाकर्ताओं को पहले ही प्राप्त हो चुकी है और वास्तव में श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर था कि जिला मजिस्ट्रेट ने 06.08.2020 पर माप को फिर से करने का निर्देश दिया था, क्योंकि दिनेश कुमार द्वारा उठाया गया मुद्दा याचिकाकर्ताओं की वास्तविक पात्रता से संबंधित था, जिसके कारण माप 05.09.2020 पर किया गया था।

35. यदि प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत जवाबी शपथपत्र, विशेष रूप से पैरा 8 में उठाए गए अभिवचनों के आलोक में देखा जाये, वास्तव में, प्रतिवादी नं0 3, ने कथन किया था कि निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 06.08.2020 के अनुपालन में 05.09.2020 पर प्रस्तुत की गई थी, यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं को एक अतिरिक्त भूमि के कब्जे में दिखाया गया था, जिसे मूल भूमि जिसे याचिकाकर्ताओं को एक शीर्षक अर्थात 2.772 है0 दिखाया गया था, के बजाय, कुल मिलाकर 3.3098 हेक्टेयर के रूप में मापा गया था। इसलिए, वास्तव में प्रतिवादी सं. 3 के जवाबी शपथ पत्र के पैरा 8 में, उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास 0.5378 हेक्टेयर अधिक भूमि थी। प्रतिवादी नं. 3 ने आगे बचाव किया है कि राजस्व अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए एक संयुक्त निरीक्षण पर, यह निर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ताओं के पास अतिरिक्त भूमि थी, जिसके लिए उन्हें वास्तव में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जैसा कि 05.09.2020 की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। अंततः दिनांक 09.09.2019 के आदेश द्वारा यह निर्धारित किया गया कि वास्तव में, श्री दिनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सही थी और भूमि का क्षेत्र, जो याचिकाकर्ताओं

के वास्तविक कब्जे में था, अधिक पाया गया और तदनुसार, श्री दिनेश कुमार की आपत्ति का निर्णय 1956 के अधिनियम की धारा 3सी (1) के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में किया गया था।

36. निर्णय में जो इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया था और जिसे मौजूदा रिट याचिका में चुनौती दी गई है अर्थात दिनांक 09.09.2019, वास्तव में यह शिकायत पर आधारित था जो श्री दिनेश कुमार द्वारा 25. 09.2019 को प्रस्तुत की जा रही थी। और इसके आधार पर रिपोर्ट 05.09.2020 पर प्रस्तुत की गई थी, इसके बाद शिकायतकर्ता को प्रतिवादीगण के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और उसने 04.10.2019 पर अपनी उपस्थिति के बाद अनुपालन में अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और इसके नतीजन शिकायतकर्ता दिनेश कुमार द्वारा 14.10.2019 पर प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर, तहसीलदार द्वारा 19.11.2019 पर एक अनुस्मारक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और यह रिपोर्ट भी जो पत्र No-82/RC दिनांक 02.06.2020 द्वारा प्राप्त की गई थी। वास्तव में, दिनांक 05.09.2020 के संयुक्त निरीक्षण के अनुसरण में, खसरा नं. 253, 247, 248 और 164 का भी निरीक्षण किया गया था, जो याचिकाकर्ताओं के खसरा सं0 163 के बगल में था और इसलिए, सजरा के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की अधिग्रहित भूमि केवल 2049 हेक्टेयर थी, और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, खसरा नं. 163 को 2.772 हेक्टेयर दिखाया गया है, लेकिन मौके पर इसे 3.0398 हेक्टेयर के रूप में मापा गया और याचिकाकर्ताओं के कब्जे को उनके नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वास्तविक भूमि से 0.5378 है0 अधिक पाया गया। इस स्थिति और जवाबी शपथ पत्र में लिए गए बचाव का सामना करते हुए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष को और मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत के समक्ष पूरक हलफनामा दि0 31.07.2021 को दायर किया था; जिसमे बिक्री विलेख दिनांक 06.06.2011, 13.07.1998 और 29.12.1977 को रिकार्ड पर रखा गया, साथ ही प्रासंगिक खतौनी, यह दिखाने के लिए कि वे भूमि के वास्तविक कब्जे में थे, जो कि 28.12.2013 व 27.10.2018 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण का विषय था। इसके अलावा अपने मामले को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने सीएच 23 को भी रिकॉर्ड में रखा था जो चकबंदी अधिकारी द्वारा जारी किया गया था, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो प्रधान, प्रभारी वन अधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जारी किया गया है को भी रिर्कार्ड पर लिया गया था।

37. इन तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के तहत, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में याचिकाकर्ताओं का दलील है कि अधिनिर्णय दि0 04.05.2019 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दी स्वीकृति के कारण मुआवजे की राशि के निर्धारण में कोई विवाद नही है।

38. इसलिए, यह दलील कि mandamus आदेश एकमात्र उपाय है, मान्य नहीं है क्योंकि वास्तव में, श्री दिनेश कुमार द्वारा दायर आपत्ति पर प्रस्तुत की गई 05.09.2020 की रिपोर्ट जो कि शिकायत सं0 1345 दिनांकित 25.09.2019 है, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विशिष्ट मुद्दों से संबंधित विवाद मौजूद हैं, जैसे कि मुआवजे की पात्रतायें; भूमि के सीमांकन से संबंधित; याचिकाकर्ताओं के भूमि के अतिरिक्त कब्जे से संबंधित, इस तथ्य से संबंधित कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में एक अधिग्रहण के कारण व्यथित थे; ऐसे मुद्दे थे जिन्हें अधिनियम की धारा 3जी के तहत एक विवाद का उल्लेख करके निर्धारित किया जाना आवश्यक था जिसे एक Arbitrtator द्वारा तय किया जाना था। अधिनियम की धारा 3जी, जो निम्नानुसार हैः–

''**<u>3जी– मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण–</u>** (1) जहां इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, वहां एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(2) जहां इस अधिनियम के तहत किसी भी भूमि पर उपयोगकर्ता का अधिकार या अधिभोग की प्रकृति का कोई अधिकार अधिग्रहित किया जाता है, वहां मालिक और किसी अन्य व्यक्ति को एक राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका उस भूमि में आनंद लेने का अधिकार इस तरह के अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से प्रभावित हुआ है, उस भूमि के लिए उप–धारा (1) के तहत निर्धारित राशि का दस प्रतिशत पर गणना की गई राशि।(3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के तहत राशि निर्धारण के लिए आगे बढ़ने से पहले, सक्षम प्राधिकारी

दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें से एक स्थानीय भाषा में होगी जिसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किए जाएंगे।

(4) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण होगा और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को किसी समय और स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वयं, व्यक्तिक रूप से से या किसी एजेंट द्वारा या खंड 3सी की उप–खंड (2) में निर्दिष्ट किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा उपस्थित होना होगा और ऐसी भूमि में अपने–अपने हित की प्रकृति का उल्लेख करना होगा।

(5) यदि उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों के बशर्ते, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे।

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उप–धारा (1) या उप–धारा (5) के तहत राशि का निर्धारण करते समय, –

(ए) खंड 3ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्यय

(इ) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करने के कारण स्थिर क्षति, यदि कोई होय

(ब) भूमि का कब्जा लेने के समय इच्छुक व्यक्ति को, अधिग्रहण के कारण किसी भी तरह से उसकी अन्य स्थिर संपत्ति या उसकी कमाई को नुकसान पहुँचाने के कारण, यदि कोई नुकसान हुआ होय

(क) यदि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या व्यवसाय स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उचित खर्च, यदि कोई हो, ऐसे परिवर्तन के लिए आकस्मिक है।, ''

39. वास्तव में, मुआवजे के लिए देय राशि के निर्धारण से संबंधित पहलू, यह मध्यस्थ है, जिसे धारा 3जी(2)(3) के तहत सभी इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां और दावे आमंत्रित करने के बाद मुआवजे की पात्रता के तथ्यात्मक निर्धारण और इसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाया गया है और अधिनियम की धारा 3जी(6) के तहत निहित प्रावधानों को देखते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू किया गया है। विधान के उपरोक्त स्पष्ट मंशा को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनिर्णय के प्रवर्तन से संबंधित कोई विवाद नहीं था और यह विवाद उन प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 के तहत विचार किया गया है। इसलिए, रिट पोषणीय होगी, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय द्वारा वास्तविक उपाय के रूप में स्वीकार्य नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, यह होगा कि श्री दिनेश कुमार की आपत्ति के प्रकाश में; 05.09.2020 की रिपोर्ट के परिणाम के प्रकाश में; 09.09.2019 के आक्षेपित आदेश में दिए गए तर्क के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त भूमि का कब्जा रखने के लिए, तब, जो वे वास्तव में हकदार थे, यह पूरे विवाद को अधिनियम की खंड 3जी के तहत निर्धारण के दायरे में लाता है और यह खंड 3जी(5) के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित एक विवाद होगा। इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इसके विपरीत उठाया गया तर्क इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनिर्णय की राशि विवादित नहीं थी।

40. कुछ समय के लिए भी, यदि याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क को इस दृष्टिकोण से देखा जाए, कि यह एक विवादित राशि नहीं थी, और क्योंकि यह एक ऐसी राशि नहीं थी जिसे एक मध्यस्थ द्वारा संदर्भित और निर्णय दिया जाना था, क्योंकि यह अधिसूचना जारी करने पर अधिनियम की धारा 3डी के तहत निर्धारित की जाने वाली राशि थी। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि चूंकि, ''यह एक निर्धारण है'' जो एक अधिनिर्णय दिए जाने से पहले आवश्यक है, इसलिए खंड 3जी के तहत सहारा लागू नहीं होगा, वास्तव में, बहुत ही तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के विपरीत है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है, कि यह एक निर्विवाद राशि नहीं थी और एक बार जब यह एक निजी शिकायत के

आधार पर एक विवादित राशि थी, तो यह खंड 3जी के तहत निर्धारित की जाने वाली राशि नहीं होगी, जिसे खंड 3जी(5) के तहत विवाद का संदर्भ मांगे बिना भी रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करके देय किया जा सकता है। एक क्षण के लिए भी, यदि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, जहां उन्होंने ''अधिनिर्णय'' और ''निर्धारण'' शब्दों के बीच अंतर करने का प्रयास किया है, तो उन्होंने जो अंतर प्रस्तुत किया है, वह यह है कि चूंकि वे एस. एल. ए. ओ. द्वारा 04.05.2019 को दिए गए निर्णय पर विवाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी खंड 3जी(5) के तहत मध्यस्थ द्वारा तय किए जाने हेतु संदर्भ नहीं मांगा था, इसलिए स्वयं अधिनियम के तहत कोई अन्य तरीका प्रदान नहीं किया गया है, ताकि मुआवजे को लागू करने के लिए इसे देय बनाया जा सके, इसलिए रिट याचिका ही एकमात्र उपाय होगा। यह तर्क याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह एकमात्र निर्धारण नहीं है, जो याचिकाकर्ताओं को मुआवजा प्राप्त करने का हकदार बनाएगा, क्योंकि मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत इसमें पात्रता, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए जब कोई आपत्ति होती है तो यह केवल खंड 3जी (5) के तहत किए जाने वाले निर्धारण द्वारा से किया जा सकता है और अन्यथा नहीं।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क का उत्तर देने हेतु; जब वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय हेतु ''रिट अदालत की अधिकार क्षेत्र को आआदेश्षित आदेशने ठीक होना'' शब्द निर्धारण के प्रभाव को व्याख्या का प्रयास कर रहे थे, हालांकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यदि ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में संदर्भित शब्द निर्धारण का शाब्दिक अर्थ लिया जाना है, तो इसमें परिभाषित शब्द निर्धारण का अर्थ है एक न्यायाधीश और मध्यस्थ के अधिकृत निर्णय द्वारा किसी अधिकार की पुष्टि या विवाद के समाधान को निर्दिष्ट करने के उद्देश्यों हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।'निर्धारण' शब्द की प्रासंगिक परिभाषा, यहाँ नीचे उद्धरित की गई हैः–

''निर्धारण,एन. 1.अदालत या प्रशासनिक एजेंसी द्वारा अंतिम निर्णय – का अदालत का निर्धारण–।''

42. अर्थात भले ही याचिकाकर्ताओं के वकील के दृष्टिकोण से 'निर्धारण' शब्द को ध्यान में रखा जाए, इसका अर्थ केवल एक न्यायाधीश या मध्यस्थ का एक आधिकारिक निर्णय होगा। अर्थात, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में दी गई परिभाषा के अनुसार, 'निर्धारण' शब्द विशेष रूप से पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसमें वह अधिनिर्णयन शामिल होगा जो मध्यस्थ द्वारा खंड 3जी(5) के तहत किया जाना है और उस स्थिति में अधिनियम की धारा 3जी की उप धारा (6) के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, एक बार जब यह केवल एक निर्धारण हो जाता है, जो एक मध्यस्थ द्वारा किया गया है, जो निर्धारण की परिभाषा के दायरे में आएगा, इसलिए यह केवल 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 के तहत एक उपाय द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जो एक अधिनिर्णय को लागू करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान भी लागू होंगे, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 36 इस प्रकार है–

''36. प्रवर्तन।– (1) जहां धारा 34 के बशर्ते मध्यस्थता अधिनिर्णय रद्द करने के लिए आवेदन करने का समय समाप्त हो गया है, तो, उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसा अधिनिर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसे कि यह अदालत की डिक्री थी।

(2) जहां धारा 34 के तहत न्यायालय में मध्यस्थता अधिनिर्णय रद्द करने का आवेदन दायर किया गया है, वहां ऐसा आवेदन दायर करने से स्वयं उस अधिनिर्णय को अप्रवर्तनीय नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि न्यायालय उप–धारा के प्रावधानों के अनुसार उक्त मध्यस्थता अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने का आदेश नहीं देता है।

(3), उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर (3) माध्यस्थम अधिनिर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए उप–धारा (2) के बशर्ते आवेदन दायर करने पर, न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे पुरस्कार के संचालन पर रोक लगा सकता हैः बशर्ते कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिए मध्यस्थता अधिनिर्णय के मामले में स्थगन देने के आवेदन पर विचार करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के तहत धन डिक्री पर स्थगन देने के प्रावधानों पर उचित ध्यान देगा।

बशर्ते कि जहां न्यायालय का समाधान हो कि एक प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है कि–(ए) मध्यस्थता इकरारनामा या अनुबंध जो पुरस्कार का आधार है; या

(ख) अधिनिर्णय का पारित किया जाना, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित या प्रभावित था, यह अधिनिर्णय की धारा 34 के तहत चुनौती के निपटारे तक बिना शर्त अधिनिर्णय को स्थगित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त परंतुक मध्यस्थता कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी अदालती मामलों पर लागू होगा, भले ही मध्यस्थता या अदालत की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3)के शुरू होने से पहले या बाद में शुरू की गई हो।''

'

43. इस संदर्भ में भी, भले ही याचिकाकर्ताओं का यह दलील कि यह मध्यस्थ के संदर्भ के बिना एक विशिष्ट, ''निर्धारण'' है, स्वीकार किया जाता है, फिर भी 'निर्धारण' शब्द के शाब्दिक अर्थ के आलोक में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह केवल अधिनियम की धारा 36 के तहत एक अधिनिर्णय के रूप में निष्पादित किया जा सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध उपाय नहीं होगा, क्योंकि यह एक निर्णायक कारक है, जिसे अदालत की प्रक्रिया से लागू किया जाना है और विशेष रूप से जब यह मुआवजे के निर्धारण और प्रवर्तन से संबंधित है, जिसका विशेष रूप से अर्थ है कि यह किसी राज्य के कार्य के कारण किसी व्यक्ति को हुए नुकसान या हुई चोट के संबंध में है। जैसा कि ऑक्सफार्ड शब्दकोश में परिभाषित है।

44. फिर भी ''अधिनिर्णय'' और ''निर्धारण'' शब्दों की तुलनात्मक जांच पर, अधिनिर्णय का अर्थ है ''एक आधिकारिक भुगतान, अधिनिर्णय या एक मूल्य'' जो इसके निर्धारण पर देय है, जो सक्षम न्यायाधीश या एक मध्यस्थ द्वारा किया गया है। उस स्थिति में, अधिनिर्णय शब्द और निर्धारण, लगभग हालांकि वे प्रकृति में समान हैं, जो पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा अधिकार का निर्धारण करने में शामिल है और इस प्रकार लिया गया निर्णय, केवल तभी है कि यह एक ''अधिनिर्णय'' के दायरे में आता है, जिसे केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 के तहत लागू किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा मामले में नहीं, जहां अधिनिर्णय स्वयं एक आपत्ति द्वारा विवादित है, और जब यह निजी प्रतिवादीगण द्वारा दायर एक आपत्ति हो, तो यह अधिनियम की धारा 3जी के दायरे में आएगा, और यह एक ऐसा विवाद होगा जिसे मध्यस्थ के समक्ष निर्धारण के लिए भेजा जा सकता है, न कि इसे रिट क्षेत्राधिकार द्वारा लागू करके, क्योंकि यह 'किसी व्यक्ति के अधिकारों का तथ्यात्मक निर्धारण करता है, इससे पहले कि इसे' अधिनिर्णय 'के दायरे में लाया जाए, जिसे कानून के अनुसार लागू किया जाएगा, न कि रिट अदालतों द्वारा।

45. इसके संबंध में **(2020)15 SCC 161, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम सैयदाबाद टी कंपनी लिमिटेड और अन्य** में रिपोर्ट किए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। यदि उक्त निर्णय को पूरी तरह से और विशेष रूप से विचार में लिया जाता है तो पैराग्राफ 15,16,17 और 18 का संदर्भ दिया जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं:–

''15. शुरुआत में, हम देख सकते हैं कि इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने **महाप्रबंधक (परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड मामले (उपरोक्त)** में हाल के फैसले में, अधिनियम, 1996 की धारा 11 के संदर्भ में अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उप–धाराओं (5) और (6) के दायरे पर विचार करते हुए कहा है कि अधिनियम 1956 एक विशेष अधिनियम है और धारा 3जी विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है। इसलिए अधिनियम, 1996 की धारा 11 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम, 1956 की धारा 3जी (5) के तहत शक्ति विशेष रूप से केंद्र सरकार के पास निहित है और यदि केंद्र सरकार उचित समय के भीतर मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं करती है, तो पक्षकार के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके या इस उद्देश्य के लिए मुकदमा दायर करके उपाय का लाभ उठाने का विकल्प खुला है, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम 1996 की धारा 11 का उपाय उपलब्ध नहीं है।

16. हम महाप्रबंधक (परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन आगे यह जोड़ना चाहते हैं कि अधिनियम, 1956 को संविधान की सातवीं अनुसूची की केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 23 के तहत राजमार्गों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति के साथ अधिनियमित किया

गया है, जिन्हें संसद द्वारा कानून द्वारा या उनके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। यह एक व्यापक संहिता और एक विशेष अधिनियम है जो न केवल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा मुआवजे और इसके अधिनिर्णयन को निर्धारित करने में कार्यवाही की परिणति तक अधिग्रहण शुरू करने में एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान करता है और यदि अभी भी असंतुष्ट रहता है, तो न्यायालय द्वारा।

17. अधिनियम, 1956 की धारा 3ए से 3एफ के अधिदेश के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण के बाद, मुआवजे की एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो अधिनियम, 1956 की धारा 3जी की उप–धारा (1) या (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस तरह निर्धारित राशि से व्यथित है या जो निर्धारित किया जा रहा है वह किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जा रहे आवेदन पर, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अधिनियम, 1956 की धारा 3जी की उप–धारा (5) के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है।

18. योजना का विश्लेषण करने के बाद, यह माना जा सकता है कि विधायिका की मंशा अधिनियम, 1956 को अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता के रूप में कार्य करने का था, जिसमें संवितरण और विवादों का निपटारा शामिल है और इस निष्कर्ष को अधिनियम की धारा 3जे को देखते हुए और मजबूत किया गया है, जो अधिनियम, 1956 के तहत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के आवेदन को समाप्त करता है।''

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमुर्ति द्वारा दिया गया न्यायनिर्णय यह प्रतिपादित करता है कि जहां 1956 का अधिनियम, अधिग्रहण और निष्पादन के विशेष क्षेत्र के संबंध में भी मौन है, विशेष कानून के तहत जहां भूमि अधिग्रहण अधिअधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से लागू करने से बाहर रखा गया है। यदि अधिनियम स्वयं उस स्थिति में किसी विशेष क्षेत्र पर चुप रहता है, तो मध्यस्थ के पास 1996 के मध्यस्थता अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों को लागू करके निजी व्यक्तिगत विवाद पर निर्णय लेने का विकल्प होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में कहा गया है कि ''अधीन'' अभिव्यक्ति का उपयोग इंगित करता है कि विधायिका ने अपने स्पष्ट शब्दों में 1956 के अधिनियम को ''मुआवजे के निर्धारण'' के किसी भी अन्य सामान्य कानून के प्रावधानों पर प्रभाव डाला है, और एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि विधायिका स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति की शक्ति को निराकृत करने की मंशा रखती है जहां मुख्य अधिनियम अर्थात 1956 का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम मौन है। भले ही उक्त प्राधिकारी के पैरा 26 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए, जो यहाँ निम्नवत हैः–

''26. यह वास्तव में सच है कि मध्यस्थ जिसे केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल, 2007 में अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन दायर करने के बाद नियुक्त किया गया था, तत्काल कार्यवाही में आक्षेपित आदेश के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद आगे नहीं बढ़ सका, जो भी बाद में अलग हो गया है और अब तक लगभग 12 साल बीत चुके हैं, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि प्रतिवादी द्वारा कोई आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और केंद्र सरकार अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के संदर्भ में 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिवादी को पूर्व सूचना के साथ एक मध्यस्थ पर विचार करेगी और नियुक्त करेगी। चूंकि मुकदमे में काफी लंबा समय लगा है, इसलिए हम यह निरीक्षण करना उचित समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ उचित समय के भीतर विवाद का न्याय निर्णय ले सकता है, लेकिन किसी भी मामले में प्रतिवादी–आवेदक द्वारा कार्यवाही में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के छह महीने के बाद नहीं।''

47. एक बार फिर यह परिकल्पना की गई है कि किसी राशि का निर्धारण या उसका विवाद या उसकी पर्याप्तता, हमेशा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के तहत एक विषय वस्तु होगी और यदि अधिनियम शांत है, तो क्योंकि धारा 3जी स्वयं ''विषय'' शब्द का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि 1956 के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मौन भाग, 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान द्वारा आच्छादित किया जाएगा; क्योंकि उक्त निर्णय के पैरा 20 में की गई टिप्पणियों के अनुसार अधिग्रहण पर विचार किया गया है, क्योंकि अधिग्रहण अनुसूची 7, सूची I, प्रविष्टि 23 के तहत आता है, इन परिस्थितियों में, निर्धारक कारक 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं।

48. याचिकाकर्ताओं द्वारा ''निर्धारण'' और ''पुरस्कार'' शब्दों के बीच क्या चित्रित करने की मांग की गई है, उसमें एक विशाल अंतर है। बॉम्बे हाई कोर्ट की खण्ड पीठ ने **महारानी मिल कामदार यूनियन बनाम एन0एल0व्यास (1959) 2 एल. एल. जे., 172** में एक फैसले में बताया कि अधिनिर्णय से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में 'अधिनिर्णय' शब्द के निहितार्थ पर विचार करते हुए, हालांकि यह श्रम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जहां उसने इसे किसी व्यक्ति के विवाद या अधिकार का ''निर्धारण'' निर्धारित किया है, अधिनिर्णय का अर्थ है, यह न्यायालय द्वारा निकाला गया एक निष्कर्ष या एक निर्णय है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, एक अधिकार निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए मामले की एक विशेष परिस्थितियों की व्याख्या करते हुए, जिसका अर्थ है कि एक अधिनिर्णय के माध्यम से निर्णय, स्वयं तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करता है और निर्धारण के बाद उसके तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष, वास्तव में एक अधिनिर्णय है, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (2) के तहत परिभाषित ''डिक्री'' शब्द की भाषा में पढ़ा जा सकता है। निर्धारण उस पृष्ठभूमि की नींव है जिसके तहत एक न्यायालय या एक मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी विशेष तथ्यों और परिस्थितियों या विवाद के प्रति अपना न्यायसंगत दिमाग रखता है और साक्ष्य और संबंधित मामलों पर विचार करने पर उसमें सौंपे गए तर्क के लिए, पक्षों के बीच उठाए गए विवाद का बिंदु निर्धारित करता है और फिर निर्णय देता है, जो निष्कर्ष है, जिसका अर्थ है 'डिक्री का पारित किया जाना', जिसे निष्पादित किया जा सकता है। वास्तव में, यदि इसे 1956 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के संबंध में पढ़ा जाए, तो इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। धारा 3 के तहत निर्धारण और धारा 3जी(9) के तहत संदर्भ के बाद निष्पादन योग्य अधिनिर्णय, वास्तव में मुख्य रूप से एक दूसरे के पर्याय हैं और उस स्थिति में जहां ''निर्धारण और अधिनिर्णय'' एक सामान्य आधार पर आधारित है, तो स्पष्ट रूप से इसका निष्पादन धारा 36 के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों को आकर्षित करके धारा 3जी(6) के तहत होगा। इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस दलील का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

49. इस न्यायालय द्वारा 2021 की रिट याचिका (एम/एस) सं0 1194 के मामलों में **करणवीर सिंह भंडारी बनाम उत्तराखंड राज्य** ने अपने निर्णय दिनांकित 03.08.2021 के माध्यम से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत मुआवजे के भुगतान mandamus का आदेश मांगा गया था, ने एनएच 94 से संबंधित मुद्दे पर विचार किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि अधिनियम के तहत ही धारा 3एच की उप धारा (4) के तहत, सक्षम प्राधिकारी को स्वयं परिभाषित किया गया है, उस स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारण, केवल उन उपायों द्वारा निष्पादित किया जाएगा, जो विशेष अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध हैं, न कि रिट याचिका दायर करने के आधार पर। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है :— याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गये अनुतोष की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इसके लिए संपत्ति की स्थिति के तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता होती है, इसकी उपयोगिता में कमी और नुकसान की मात्रा की आवश्यकता होती है, ये तथ्यात्मक संभावनाएं हैं, जिनका निर्णय तथ्यों और रिकॉर्ड पर रखे जाने वाले साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत जिस प्राधिकरण को उक्त मामले को तय करने के लिए सक्षम बनाया गया है, वह ''सक्षम प्राधिकारी'' है, जैसा कि धारा की उप धारा (4) के तहत संदर्भित है।

अधिनियम का 3 (एच), जो यहाँ उद्धरित किया गया हैः—

''3 (एच) (4) यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है।''

सक्षम प्राधिकारी को खंड 3 (ए) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है एक प्राधिकरण, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, वह अधिनियम के तहत कार्य करेगा और कार्यों में से एक वह कार्य होगा जिसकी परिकल्पना अधिनियम की धारा 3(एच) की उप धारा (4) के तहत की गई है।

उस स्थिति में, इस रिट याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता के लिए अपनी कष्ट के निवारण के लिए धारा 3 (एच) (4) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया जा रहा है, जैसा कि मौजूदा रिट याचिका में अनुरोध किया गया है। इसलिए, इस रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के बशर्ते, तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।''

50. यहां तक कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की संयुक्त पीठ ने **ए0आई0आर0 2021 इलाहाबाद 33 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम राजेश कौशिक और अन्य** में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में और विशेष रूप से उक्त फैसले के पैराग्राफ 6,7 और 8 में एक समान विचार व्यक्त किया है, जिसे नीचे उद्धरित गया है:–

''6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अध्ययन करने के बाद, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के दायरे के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। इस तरह की कार्यवाही विशुद्ध रूप से राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–जी (5) के प्रावधान के संदर्भ में उत्पन्न हुई। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त प्रावधान निम्नानुसार है:

''(5) यदि उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो राशि, दोनों पक्षों में से किसी एक के आवेदन पर, केंद्र द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7. इस प्रकार, ऐसा मध्यस्थता केवल उस पक्ष के कहने पर उत्पन्न हो सकता है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि स्वीकार्य नहीं हो सकती है। वह पक्ष मध्यस्थ द्वारा राशि के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। दावेदार को देय राशि के निर्धारण के लिए विधायिका द्वारा दायरे या संदर्भ की शर्तों को चुना या निर्धारित या सीमित किया गया है। अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य (2004) 3 एस. सी. सी. 1 :(ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2836), में यह अभिनिर्धारित किया गया है:

''94.''निर्धारण'' शब्द को भी इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए, जो बौद्धिक प्रयोज्यता और निष्कर्ष की अभिव्यक्ति को पूर्वनिर्धारित करता है।यह आधिकारिक दृढ़ संकल्प को दर्शाता है और केवल (एस. आई. सी. या) निष्कर्ष की राय नहीं है।

8. फिर कानून मध्यस्थता को एक निजी विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता देता है जिस पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। **पी. मनोहर रेड्डी और ब्रदर्स बनाम महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम(2009) 2 एससीसी 494:(ए. आई. आर 2009 एस. सी. 1776)** ।यह पक्षकारों द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा एक बाध्यकारी स्वैच्छिक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। **इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड और अन्य बनाम एम/एस राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड (2009) 8 एस. सी. सी. 520:(ए. आई. आर. 2009 एस. सी. (सप) 2145.2)** । इसमें विवादग्रस्त मामले का अंतिम निर्धारण एक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के निर्णय द्वारा किया जाता है, जिन्हें मध्यसी/मध्यस्थता अधिकरण कहा जाता है। विवाद को हल करने के लिए किसी भी आगे या अन्य कार्यवाही की अवधारणा जिसे मध्यस्थता मध्यस्थ न्यायाधिकरण के संदर्भ का विषय बनाया जा सकता है, मध्यस्थता के आधारभूत सिद्धांत के लिए एक आत्यन्तिक अभिशाप है। यही कारण है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थ के किसी भी अधिनिर्णय के खिलाफ चुनौती का एक सीमित दायरा मौजूद है।

51. पुनः अभियनिर्धारित किया गया कि धारा 3जी (5) के तहत मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही एक विशेष और एकमात्र मंच है, जो 1956 के विशेष अधिनियम के तहत राशि की मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए, उपलब्ध है, यदि राशि किसी अन्य पक्ष द्वारा विवादित है और उस पक्ष विवादित रूप से दावा किया जाता है, और चूंकि कानून मध्यस्थता को एकमात्र निजी विवाद समाधान तंत्र के रूप में मान्यता देता है, इसलिए **एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 2836 अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य**, में रिपोर्ट किए गए फैसले के पैरा 94 में ''निर्धारण'' शब्द को दी गई व्याख्या के आलोक में, वास्तव में, उसमें निकाले गए निष्कर्ष का अर्थ है कि एक निर्धारण को भी पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और यह बौद्धिक प्रयोज्यता और निष्कर्ष की अभिव्यक्ति का पूर्व–अनुमान लगाता है और यह ''एक आधिकारिक या न्यायिक उपाय के माध्यम से निर्धारण'' को दर्शाता है न कि केवल एक राय और इसलिए उस तर्क के तहत, इस न्यायालय का विचार है कि इसे मध्यस्थता अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों को आकर्षित करके ही लागू किया जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ 6,7 और 8 को नीचे उल्लेखित गया है:–

''6. वर्ष 1987–88 दिनांकित 28.8.1991 के लिए मूल्यांकन का एक आदेश पारित किया गया था:

''डीलरों ने अपने बाहरी राज्य क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों और पुर्जों को अपने गोदामों में वाहनों के स्टॉक हस्तांतरण का विस्तृत विवरण दाखिल किया है। विवरण को उनके द्वारा दायर किए गए फॉर्म ''एफ'' की घोषणा और दस्तावेज के संदर्भ में विस्तार से सत्यापित किया गया था। डीलरों ने अन्य राज्यों में अपने क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के पूर्ण मूल्यांकन आदेश भी दाखिल किए हैं। उनके दावे की विस्तार से जांच की गई और क्रम ठीक होना पाया गया। उनके द्वारा दाखिल फॉर्म ''एफ'' को स्वीकार कर लिया जाता है और छूट दी जाती है।

7. उक्त परिणाम के बावजूद मूल्यांकन प्राधिकरण ने अपीलकर्ताओं को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि दिनांक 29.11.1990 के आदेश को क्यों संशोधित नहीं किया जाना चाहिए और जहां तक राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित वाहनों के स्टॉक का संबंध है, कथित रूप से क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों को हस्तांतरित किए जाने पर तमिलनाडु में अंतर–राज्यीय बिक्री कर के रूप में कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

8. अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ साथ साथ–साथ मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए निर्धारण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए इस आधार पर कि मुद्दा केंद्रीय अधिनियम की धारा 6ए की उप–धारा(2) के प्रावधानों के संदर्भ में या फॉर्म एफ के संदर्भ में अपीलार्थियों द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर निर्धारित किए गए थे। हालाँकि, पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही केंद्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित राज्य अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधानों के साथ–साथ साहनी स्टील एंड वर्क्स लिमिटेड बनाम सी. टी. ओ. मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भी पूरी की गई थी। उक्त आदेश के परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों को किए गए वितरण के संबंध में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों की बिक्री का पुनर्मूल्यांकन किया गया। केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 (2) के साथ पठित राज्य अधिनियम की धारा 16(2) के संदर्भ में कर योग्य बिक्री के रूप में कारोबार का खुलासा न करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। अन्य मूल्यांकन वर्षों के संबंध में भी इसी तरह के कारण बताए जाने के नोटिस जारी किए गए थे।''

52. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय में, जो **(2019) 9 एससीसी 304, भारत संघ व अन्य बनाम तारसेम सिंह व अन्य** में रिपोर्ट किया गया है, हालांकि यह थोड़ा अलग दृष्टिकोण से संबंधित था, इस दृष्टिकोण से कि अधिग्रहण की कार्यवाही के तहत भुगतान, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 के तहत आयोजित किया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में मनमाना माना गया था; लेकिन मौजूदा मामले के उद्देश्यों के लिए, उक्त निर्णय का केवल पैरा 45 प्रासंगिक होगा जो यहां निम्नवत है:–

''45. जहाँ तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत आसान अधिकारों का संबंध है, तीन धाराएँ प्रासंगिक हैं और इन्हें उद्धृत करने की आवश्यकता है:

''3. परिभाषाएँ– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो, –

(ख) ''इच्छुक व्यक्ति'' पद में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे में ब्याज का दावा करते हैं और एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा यदि वह भूमि को प्रभावित करने वाले किसी अधिभोग में रुचि रखता है।

9. इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस– (1) कलेक्टर अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर या उसके पास सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना देगा, जिसमें कहा जाएगा कि सरकार भूमि का कब्जा लेने का इरादा रखती है, और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए मुआवजे का दावा उसे किया जा सकता है।

(2) इस तरह की सूचना में इस तरह से आवश्यक भूमि का विवरण होगा, और भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा कलेक्टर के समक्ष उसमें उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी (ऐसा समय जो सूचना के प्रकाशन की तारीख के पंद्रह दिन से पहले नहीं है), और भूमि में अपने–अपने हितों की प्रकृति और ऐसे हितों के मुआवजे के लिए उनके दावों की राशि और विवरण और धारा 8 के तहत किए गए मापों पर उनकी आपत्तियों (यदि कोई हो) का उल्लेख करना होगा। कलेक्टर किसी भी मामले में इस तरह के बयान को लिखित रूप में देने और पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता हो सकती है।

(3) कलेक्टर ऐसी भूमि के अधिभोगकर्ता (यदि कोई हो) और ऐसे सभी ज्ञात या माने जाने वाले व्यक्तियों पर भी उसी प्रभाव का नोटिस देगा, जो उस राजस्व जिले के भीतर, जिसमें भूमि स्थित है, अपनी ओर से सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत एजेंटों के रूप में रहते हैं या उनकी ओर से सेवा प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

(4) यदि कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति कहीं और रहता है और उसका कोई ऐसा अभिकर्ता नहीं है तो उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास, पते या व्यवसाय के स्थान पर संबोधित और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 28 और 29 के तहत पंजीकृत पत्र में डाक द्वारा सूचना भेजी जाएगी।

31. अदालत में मुआवजे या उसी की जमा राशि का भुगतान– (1) खंड 11 के तहत अधिनिर्णय देने पर, कलेक्टर अधिनिर्णय के अनुसार इसके हकदार व्यक्तियों को अपने द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करेगा, और उन्हें तब तक भुगतान करेगा जब तक कि अगली उप–धारा में उल्लिखित कुछ एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा इसे रोका न जाए।

इन धाराओं को पढ़ने से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो भूमि को प्रभावित करने वाले सुखाधिकार में रुचि रखता है, वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत मुआवजे का दावा कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम दोनों के तहत, ऐसे दावों को कानून के अनुसार साबित करना पड़ता है, अंतर यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत वास्तविक देय होते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि की एक निश्चित राशि देय होती है। इसलिए, यह कहना पूरी तरह से गलत है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मालिक को अतिरिक्त राशि देय है, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय नहीं है। इसके अलावा, दोनों अधिनियम उन व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान पर विचार करना करते हैं जिनके सुखाधिकार अधिग्रहण से प्रभावित हुए हैं। किसी भी स्थिति में, यह दलील संभवतः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मुआवजे और ब्याज का भुगतान न करने का जवाब नहीं दे सकता है, जिस पर इस फैसले में विस्तार से विचार किया गया है।''

53. बल्कि वास्तव में, यह निर्धारित किया गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 दोनों में मुआवजे के भुगतान विचार करना किया गया है, जहां किसी व्यक्ति के सुखाधिकार का भंग होता है, जो कानून के तहत संपत्ति का मालिक साबित होता है। प्रासंगिक पैरा 45, जिसे उद्धत किया गया है, वास्तव में किसी अधिकार के निर्धारण के लिए पात्रता, धारा 3ए (1) के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में धारा 3ए के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और इसका निर्धारण विशेष रूप से धारा 3जी (5) के दायरे में रखा गया है और किसी अन्य प्रक्रियात्मक अपवाद के माध्यम से नहीं, विशेष रूप से जब इसे किसी विशेष अधिनियम के तहत विचार किया जाता है और इसलिए, क्योंकि अधिनियम को स्वयं पैरा 45 में दिए गए तर्क के आलोक में एक प्रबल प्रभाव दिया गया है और जब यह प्रभावित व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा है, तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब होगा कि इसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण शामिल होगा, जो इस प्रकार हो सकता है –

54. मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 2011 का डब्ल्यू0ए0 (एम. डी.) सं. 1928 से 1931 और 2011 का एम0पी0 (एम. डी.) सं0 1, वर्ष 2019 डब्ल्यू0ए0 (एम. डी.) सं0 1930 व 1931 **सी. गोपीनाथ बनाम जिला कलेक्टर और अन्य**, जो दि0 14.12.2015 को पारित किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3एच(4) केवल एक सक्षम प्रावधान है, इसलिए, एक बार जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि के वितरण के लिए धारा 3ए के तहत संतुष्टि दर्ज की जाती है, तो जो व्यक्ति अपना दावा कर रहा है, पात्रता का मुद्दा केवल अधिनियम की धारा 3जी के तहत प्रदान किए गए तंत्र द्वारा तय किया जा सकता है और यह वही है जो उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16,17 और 18 में विचार किया गया है, जिसे यहां उद्धत गया है:–

16. खंड 3–जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में भूमि के मालिकों को देय मुआवजे के निर्धारण के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी में राशि के निर्धारण के बाद, केंद्र सरकार धारा 3–एच के तहत निर्धारित राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से जमा करने हेतु बाध्य है। अधिनियम की धारा 3–एच उप–धारा (2) सक्षम प्राधिकारी को उप–खंड (1) के तहत इस प्रकार जमा किए जाने के तुरंत बाद राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। क्या होता है जब कई व्यक्ति मुआवजे के वितरण के लिए दावा करते हैं, जो कि धारा 3एच की उप–धारा (3) के तहत निर्धारित है। जब कई व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किए गए दावे विवाद का कारण बनते हैं, तो इसका समाधान धारा 3एच की उप–धारा (4) के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। चूँकि इन अपीलों में उठाए गए प्रश्न का निर्धारण उप–धारा (3) और (4) के इर्द–गिर्द घूमता है। खंड 3–एच, इन्हें इस प्रकार उद्धत जाता है: ''3–एच. जमा करना और राशि का भुगतान करना–

' ' ' ' ' (3) जहां कई व्यक्ति उप–धारा (1) के तहत जमा की गई राशि में रुचि रखने का दावा करते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का निर्धारण करेगा जो अपनी राय में उनमें से प्रत्येक को देय राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

(4) यदि राशि या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह या उसका कोई हिस्सा देय है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख दीवानी न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करेगा, जिसकी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भूमि स्थित है।

17. उप–धारा (3) और (4) का सावधानीपूर्वक अध्ययन यह दर्शाता है कि अधिनियम की धारा 3एच की उप–धारा (3) में ''दावा'' और उप–धारा (4) में ''विवाद'' का उपयोग करता है। अतः सक्षम प्राधिकारी विवादों पर

न्याय निर्णय लेने का हकदार नहीं है। यदि कई व्यक्तियों द्वारा आपस में से किसी विवाद के बिना दावे किए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी उप–धारा (3) के तहत राशि वितरित करने का हकदार है। उप–धारा (3) के तहत व्यक्तियों को निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी की पात्रता सीमित प्रकृति की है, लेकिन जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो सक्षम प्राधिकारी विवाद को नागरिक अधिकार क्षेत्र के प्रधान न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य होता है। यदि ऐसी व्याख्या नहीं दी जाती है, तो सक्षम प्राधिकारी दीवानी विवादों पर न्याय निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियों को अपने लिए अभिमानी बना सकता है। इसलिए हमारा विचार है कि विद्वान न्यायाधीश का यह सोचना सही नहीं था कि –उपधारा 4 के अनुसार खंड 3–एच केवल एक सक्षम प्रावधान है और पक्षकार स्वतंत्र रूप से दीवानी न्यायालय में जा सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण उन शक्तियों को प्रदान करेगा जो उपलब्ध नहीं हैं और जिन्हें मुआवजे के वितरण से संबंधित नागरिक विवादों पर न्याय निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

18. इसलिए सभी अपीलों को स्वीकार किया जाता है। विद्वान न्यायाधीश के आदेश को रद्द दिया जाता है और सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह विवाद को धारा 3एच की उप–धारा (4) के अनुसार उपयुक्त दीवानी न्यायालय को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर भेजे। सक्षम न्यायालय सभी पक्षों नोटिस जारी करना करेगा और पर्याप्त अवसरों के बाद संभवतः उसके बाद छह महीने की अवधि के भीतर विवाद पर न्याय निर्णय लेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने मणि के पक्ष में एक चेक जारी किया था, लेकिन उसे उन्हें नहीं सौंपा। सक्षम प्राधिकारी उस दीवानी न्यायालय के क्रेडिट में धन जमा करेगा, जिसके लिए एक संदर्भ दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले संदर्भ के अनुरोध के साथ, वह उस न्यायालय में धन जमा करेगा और संबंधित न्यायालय विवाद के निपटारे तक धन को एक निश्चित जमा में रखेगा। कोई लागत नहीं। नतीजन संबंधित विविध याचिकाओं को निस्तारित किया जाता है।''

55. इसलिए, मद्रास उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के उक्त फैसले को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं का दावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार के दायरे में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए अन्य निर्णय हैं, **(2013) AIR (Kar) 163 बी0एल0 श्रीधर व अन्य बनाम बी0आर0 पाथी और अन्य**, जहाँ कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के पैरा 5 और 8 में लगभग एक समान दृष्टिकोण लिया गया है, जो यहाँ नीचे उद्धत किया गया हैः–

''5. इस अपील ठीक होना विचार करने के लिए एकमात्र बिंदु पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद पर विचार करना है, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3–एच की उप–धारा (3) या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की खंड 3–एच की उप–खंड (4) यह पता लगाने के लिए लागू होती है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश किसी त्रुटि से ग्रस्त है।' ' ' ' '

8. हम अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के बहस की सराहना कर सकते थे कि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी अधिनियम की धारा 3–एच की उप–धारा (3) को लागू करने में उचित था, बशर्ते कि अपीलार्थियों और प्रतिवादी के बीच उनके प्रत्येक द्वारा धारित भूमि की सीमा के संबंध में कोई विवाद न हो। यदि उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित भूमि की सीमा के संबंध में कोई विवाद नहीं है, तो उनके दावे के आधार पर, धारा 3–एच की उप–धारा (3) को लागू करके राशि का वितरण किया जा सकता था। इसके विपरीत, सम्बंधित वास्तविक विवाद यह है कि क्या अपीलार्थी 5 गुंटा की पूरी सीमा के मालिक हैं और क्या रिट याचिकाकर्ता का भी 5 गुंटा में से हिस्सा है। यह एक मालिकाना हक विवाद के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे विवादों पर धारा 3–एच की उप–धारा (3) के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता है और यह उप–धारा (4) के प्रावधान के अंतर्गत आता है।''

56. जहां अधिनिर्णयन के तंत्र को स्वयं एक स्व–निहित विशेष कानून में शामिल किया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची द्वारा आच्छादित किया गया है और इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि चूंकि भूमि अधिग्रहण के सामान्य अधिनियम की प्रयोज्यता को लागू करने के लिए हटा दिया गया है, इसलिए निर्धारण विशेष रूप से विशेष अधिनियम की धारा 3जी के तहत किया जाना चाहिए और केवल धारा 3एच के तहत राशि जमा करने के कारण, कि अपने आप में एक निर्धारण किए बिना देय नहीं किया जा सकता है, और विशेष रूप से जहां निजी व्यक्ति द्वारा एक अधिकार के बारे में शिकायत की जाती है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना है।

57. ऊपर जो निर्धारित किया गया है उसका सारांश देने के लिए, यह न्यायालय निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता हैः–

i. धारा 3जी के तहत एक संदर्भ के बिना और धारा 3जी (5) के तहत एक मध्यस्थता द्वारा एक अधिनिर्णय के बिना ''निर्धारण'' शब्द, 1996 के मध्यस्थता अधिनियम के तहत निष्पादन कार्यवाही की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करेगा, जिसे धारा 3जी(6) के तहत निहित प्रावधान के आलोक में विशेष रूप से लागू किया गया है। इस प्रकार, एक अधिनिर्णय को लागू करने के लिए याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया उपाय मुआवजे के विवादित दावे को लागू करने के लिए 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 के तहत एक उचित कार्यवाही दायर करना होगा।

ii. विवाद पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि मौजूदा मामला, 1950 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत mandamus आदेश मापदंडों के भीतर नहीं आएगा, विशेष रूप से जब किसी निजी व्यक्ति द्वारा 04.05.2019 को किए गए मुआवजे के निर्धारण से संबंधित विवाद उठाया जाता है, जिसमें भूमि के संबंध में नागरिक अधिकारों का भी एक तत्व होगा। यह अपने आप में विवाद को धारा 3जी (5) के तहत एक मध्यस्थ के लिए संदर्भित करेगा। अब से, mandamus की प्रकृति की रिट क्योंकि राशि विवादित है, दावा विवादित है और जब तक विशेष अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र द्वारा इसका निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक कोई mandamus आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।

iii. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट, अपने आप में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खराब होगी, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत हैं कि एक निजी व्यक्ति ने मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दावे के बारे में पहले ही आपत्ति जताई है। इसलिए, आक्षेपकर्ता श्री दिनेश mandamus रिट याचिका में एक पक्षकार के रूप में बनाया जाना चाहिए था क्योंकि उसके अभाव में किसी भी रिट के जारी होने से स्पष्ट रूप से आक्षेपकर्ता के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iv. इस न्यायालय का विचार है कि यदि दिनांक 09.09.2020 में दिए गए तर्क को ध्यान में रखा जाता है, जब दि0 05.09.2020 को पुनः सर्वेक्षण किया गया था, तो यह निजी प्रतिवादीगण की शिकायत दि0 25.05.2019 पर था, जहां वास्तव में यह पाया गया था कि याचिकाकर्ताओं के पास विधिक अधिकार से अधिक भूमि थी, और राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां, जिनके लिए अधिनियम के तहत बनाए mandamus रिट द्वारा साक्ष्य की सराहना करके तथ्यों के निर्धारण की आवश्यकता थी अर्थात धारा 3जी (5) के तहत और इसे mandamus रिट के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।

v. एक अंतिम निष्कर्ष पर, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा वास्तव में ''निर्धारण और पुरस्कार'' की शर्तों के संबंध में जो अच्छा अंतर बनाने का प्रयास किया गया था, वह कमोबेश एक परा–सामग्री प्रावधान है और यदि इसे होना ही है, तो इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के सिद्धांतों से उद्धत करना होगा, कि ''निर्धारण एक निर्णय होगा'', जैसा कि संहिता की धारा 2 की उप धारा (9) के तहत परिभाषित किया गया है, और ''अधिनिर्णय एक डिक्री होगी'', जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उप धारा (2) के तहत परिभाषित किया गया है। वास्तव में अधिनिर्णय एक निर्णय के आधार पर दिए गए निर्धारण की अंतिम अभिव्यक्ति होगी, जिसे अधिनियम की धारा 36 के तहत एक डिक्री के रूप में लागू किया जा सकता है। लेकिन ऊपर दिए गए कारणों से, इस स्तर पर धारा 36 का यह उपाय भी याचिकाकर्ताओं के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि वे निजी आपत्तियों के कारण धारा 3जी (5) के तहत निहित प्रावधानों को लागू करके, जहां अधिकार पर आपत्ति है, अधिग्रहित क्षेत्र की आपत्ति है, जहां याचिकाकर्ताओं को मुआवजा प्राप्त करने की पात्रता पर आपत्ति है, अपने अधिकारों का निर्धारण नहीं कर लेते।

58. तदनुसार, ऊपर दिए गए कारणों से, रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार उसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

30.09.2021